भारत संघ

बनाम

मैसर्स भारत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कं. (प्रा.) लिमिटेड।

**13** अगस्त**, 2007**

**(**एच. के. सेमा और लोकेश्वर सिंह पांटा**,** जे.जे.**)**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम*, 1996:*

*धारायें 11 (6) और (8) - मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका अन्तर्गत धारा 11(6) - मध्यस्थ नियुक्त - तर्क की धारा 11(8) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि मध्यस्थ को करार में मध्यस्थता खंड के अनुरूप नियुक्त नहीं किया गया था - अभिनिर्धारित: एक बार धारा 11(6) में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका दायर की गई है, तो करार के मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।*

अपीलार्थी **-** भारत संघ और प्रत्यर्थी **-** कंपनी के बीच बैटरी सेकेंडरी लीड एसिड की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया गया

था। करार के खंड **24** में कानून मंत्रालय के अधिकारियों से विभाग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को विवाद के संदर्भ के लिए प्रावधान किया गया है। प्रत्यर्थी के अनुसार जैसे ही मूल्य भिन्नता खंड के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** की धारा **11** के तहत एक नोटिस दिया, जिसमें अपीलार्थी से या तो मूल्य भिन्नता के कारण आवश्यक संशोधन जारी करने या **30** दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की गई। इसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध खंड का आह्वान करते हुए और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक और नोटिस दिनांकित **02.01.2006** को जारी किया गया। अपीलार्थी नोटिस प्राप्त होने के **30** दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा। अंततः, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिनांक **30.03.2006** को धारा **11 (6)** के तहत एक याचिका दायर की। आदेश दिनांक **26.05.2006** द्वारा, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। पीड़ित, भारत संघ ने हस्तगत अपील दायर की।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया कि उसने करार के खंड **24** की शर्तों में दिनांक **15.05.2006** को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, कि अधिनियम की धारा **11(6)** के तहत् मध्यस्थ नियुक्ति के दौरान धारा **11(8)** के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और धारा **11(6)** के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करार के खंड **24** के अनुरूप नहीं थी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** की धारा **11(6)** के तहत याचिका दायर करने के बाद करार के खंड **24** के संदर्भ में अपीलार्थियों को मध्यस्थ की नियुक्ति करने से रोक दिया जाता है। एक बार जब न्यायालय के समक्ष धारा **11 (6)** की याचिका दायर की जाती है, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की जाती है, तो करार के मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अधिनियम की धारा **11(8)** अपीलार्थी की सहायता के लिए आ सकती थी, यदि उन्होंने प्रत्यर्थी से ऐसा करने के लिए निवेदन की प्राप्ति की तारीख से **30** दिनों के अथवा बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसी भी

स्थिति हो, एक मध्यस्थ नियुक्त कर दिया होता। एक बार जब कोई पक्ष अधिनियम की धारा **11(6)** के तहत आवेदन दायर करता है, दूसरा पक्ष इसके बाद करार के खंड के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने के अपने अधिकार को समाप्त कर देता है। अपीलार्थियों द्वारा **15.05.2006** को पारित किया गया मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था।

**(**पैरा **9, 15** और **16) (997-**डी-एफ**; 999-**बी-सी**)**

पुंज लॉयड लिमिटेड बनाम पेट्रोनेट एम.एच.बी. लिमिटेड, **(2006) 2** एस.सी.सी. **638** और दातार स्विटचगियर्स लिमिटेड बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड व अन्य **(2000) 8** एस.सी.सी. **151** पर भरोसा किया।

भारत संघ व अन्य बनाम एम.पी. गुप्ता, **(2004) 10** एस.सी.सी. **504** और एस. राजन बनाम केरल राज्य व अन्य, **(1992) 3** एस.सी.सी. **608,** अन्तर किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3692/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के 2006 के ए.पी. संख्या 213 में निर्णय दिनांकित 26.5.2006 से।

पी.पी. मल्होत्रा, एएसजी., जी.प्रकाश, एच.के. पुरी, वी.के. वर्मा अपीलार्थी की ओर से।

राजेश बनाती, शैलेंद्र भारद्वाज, हरि मोहन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा एच.के. सेमा, न्यायाधिपति।

1. अनुमति दी गई।

2. भारत संघ द्वारा प्रस्तुत यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता याचिका संख्या 213/2006 में निर्णय व आदेश दिनांक 26.5.2006 के विरुद्ध निर्देशित है। उपरोक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11(6) के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर मध्यस्थ नियुक्त किया।

3. इस अपील में निहित प्रश्न का उत्तर देने के लिए वर्तमान अपील दायर करने के लिए प्रमुख सभी तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं हो सकता है। इतना कहना काफी है कि द्वितीयक लेड एसिड बैटरी की आपूर्ति के लिए निविदा जांच नंबर ए.एम-5 / आरसी - 14100105 / 072003 / डब्ल्यूटी / बीटीवाईएस / डिफेंस / 2003 - 04 / 75 के निमंत्रण के जवाब में एक प्रस्ताव दिनांकित 07.10.2002 प्रस्तुत किया गया था, जिसे पत्र दिनांकित 08.04.2003 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधित प्रस्ताव दिनांक 08.04.2003 के आधार पर एक दर अनुबंध नंबर ए.एम. - 5 / आर. सी. - 14100105 / 072003 / डब्ल्यूटी / बीटीवाईएस / डिफेंस / 2003 - 04 / 75 / भारत / सी.ओ.ए.सी. / 185 दिनांकित 05.05.2003 से 16.03.2004 की अवधि के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच निष्पादित किया गया था।

4. पक्षों के बीच किए गए दर अनुबंध के खंड 12 में मूल्य भिन्नता खंड शामिल था। चूंकि बैटरियों के परिवर्तन कारक को सीसे की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण शामिल नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से इसे शामिल करने का अनुरोध किया। यहाँ प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से बिक्री कर की दर में संशोधन जारी करने का भी अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुरोध का पालन लगभग एक वर्ष के बाद पत्र दिनांकित 02.07.2004 द्वारा किया गया था। हालांकि, यह आरोप लगाया जाता है कि दर अनुबंध के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने 19,021 बैटरियों की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश संख्या 01 / आरसी / जेड 9 / बीटीवाई / 047 / भारत / 2004 / 05 दिनांकित 16.03.2004 जारी किया। यहाँ प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को वही प्रदान किया। प्रत्यर्थी ने मूल्य भिन्नता खंड और हिंदुस्तान जिंक मूल्य परिपत्र की फोटोकॉपीयों के अनुसार बैटरी की इकाई कीमत की विस्तृत गणना भी प्रस्तुत की। यह संतोषजनक है कि यद्यपि अपीलार्थी ने बैटरी प्राप्त करना जारी रखा, लेकिन अप्रैल से जून, 2004, जुलाई से सितंबर, 2004, अक्टूबर से दिसंबर 2004, जनवरी से मार्च, 2005, अप्रैल से जून, 2005, जुलाई से सितंबर, 2005, अक्टूबर से दिसंबर 2005 और जनवरी से मार्च, 2006 की

तिमाही के लिए मूल्य भिन्नता खंड के संबंध में संशोधन जारी नहीं किया। चूंकि अपीलार्थी ने मूल्य भिन्नता खंड के संबंध में संशोधन जारी नहीं किया था, और न ही पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद का निपटारा किया था, इसलिए यहां प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक नोटिस 07.06.2005 को भेजा। उक्त नोटिस के माध्यम से प्रत्यर्थी ने मांग की कि अपीलार्थी या तो उपरोक्त उल्लेखित तिमाहियों के संबंध में मूल्य भिन्नता के कारण आवश्यक संशोधन जारी करे या 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करें। नोटिस दिनांकित 07.06.2005 को अपीलार्थी द्वारा पावती पर्ची संख्या 26110 दिनांकित 09.06.2005 के माध्यम से स्वीकार किया गया था। नोटिस का पालन नहीं करने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थता समझौते का आह्वान करते हुए और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक और नोटिस दिनांकित 02.01.2006 जारी किया गया था। द्वितीय नोटिस को भी अपीलार्थी ने पर्ची संख्या 33190 दिनांकित 03.01.2006 द्वारा अभिस्वीकृत किया।

5. उपरोक्त नोटिसों और उनकी रसीद के बावजूद, अपीलार्थी ने न तो पक्षों के बीच विवादों का समाधान किया और न ही ऐसा

करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, मध्यस्थ नियुक्त किया जिसने प्रत्यर्थी को दिनांक 30.03.2006 को अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिका दायर करने के लिए बाध्य किया।

6. करार का खंड 24 पक्षों के मध्य मध्यस्थता से संबंधित है। खंड 24 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

> "(i) इन शर्तों या अनुबंध का किसी विशेष शर्तों के अधीन या इस अनुबंध के साथ संबंध में कोई प्रश्न, विवाद या भिन्नता उत्पन्न होने की स्थिति में (ऐसे किसी भी मामले को छोड़कर जिसका निर्णय इन या विशेष शर्तों के द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया गया है) उसे विधि मंत्रालय में एक अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जिसे महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है, कि उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे अनुबंध संबंधित है अथवा सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में

वह विवाद या अंतर से संबंधित सभी या किसी मामले पर विचार व्यक्त कर चुका है। मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और इस अनुबंध के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) मध्यस्थ की मृत्यु, उपेक्षा या कार्य करने से इनकार या इस्तीफा या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने या उसका पंचाट न्यायालय द्वारा किसी भी कारण से अपास्त होने, की स्थिति में महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के लिए पूर्वकथित तरीके से निवर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया जाना विधिसम्मत होगा।

(iii) इस अनुबंध की आगे एक शर्त यह है कि महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा पूर्वकथित अनुसार नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यह कि यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए।"

7. संक्षिप्त तथ्यों को संक्षेप में बताने के बाद अब हम कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि वर्तमान विवाद के उचित न्याय निर्णयन के उद्देश्य से सुसंगत हैं:

(क) मध्यस्थ की नियुक्ति के नोटिसेज दिनांक 07.06.2005 और 02.01.2006 को क्रमशः जारी किये गये थे, जो अपीलार्थी द्वारा अभिस्वीकृति के साथ विधिवत प्राप्त किए गए थे।

(ख) प्रत्यर्थी से ऐसा करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में अपीलार्थी विफल रहा।

(ग) 30.03.2006 को प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11(6) की याचिका दायर की गई।

(घ) उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांकित 26.05.2006 द्वारा न्यायमूर्ति के. एस. गुप्ता, सेवानिवृत न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

(ड़) 15.05.2006 को अपीलार्थी ने कहा कि उसने कथित रूप से करार के खंड 24 के संदर्भ में डॉ. गीता रावत को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता श्री पी. पी. मल्होत्रा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11(8) के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया की पालना नहीं की। उनके अनुसार न्यायमूर्ति के. एस. गुप्ता की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति करार के खंड 24 के अनुरूप नहीं है। करार के खंड 24 में यह उपबंध है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त विधि मंत्रालय के एक अधिकारी की एकमात्र मध्यस्थता को भेजा जायेगा।

9. हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अधिनियम की धारा 11(8) के अन्तर्गत अपीलार्थी को तब सहायता मिल सकती थी, जब अपीलार्थी प्रत्यर्थी से ऐसा करने के अनुरोध की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों के भीतर अथवा बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ नियुक्त कर देता। वर्तमान प्रकरण में, जैसा

कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी द्वारा धारा 11(6) की याचिका दिनांक 30.03.2006 को दायर की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2006 को डॉ. गीता रावत को नियुक्त करने के लिए कहा, अर्थात् दिनांक 30.03.2006 को प्रत्यर्थी द्वारा धारा 11(6) की याचिका दायर करने के पश्चात, जो विधि में अनुमत नहीं है। अन्य शब्दों में, प्रत्यर्थी द्वारा धारा 11(6) में याचिका दायर करने के पश्चात करार के खंड 24 के संदर्भ में अपीलार्थियों को मध्यस्थ की नियुक्ति करने से रोका जाता है। एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष धारा 11(6) की याचिका एक बार दायर कर दी जाती है, तो करार के मध्यस्थता खंडों के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।

10. श्री मल्होत्रा, विद्वान अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता ने भारत संघ व अन्य *(*अपीलार्थी*)* बनाम एम. पी. गुप्ता *(*प्रत्यर्थी*)* *(2004) 10* एस.सी.सी. *504* में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें इस

न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि स्पष्ट प्रावधान था कि दो राजपत्रित रेलवे अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति पी. के. बहरी एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकते थे। यह प्रकरण ऐसी स्थिति का नहीं था, जहाँ न्यायमूर्ति पी. के. बहरी धारा 11(6) की याचिका दायर करने के पश्चात नियुक्त किये गये थे। तथ्यों से यह प्रकट होता है कि न्यायमूर्ति पी.के. बहरी के मामले में मध्यस्थता करार के खंड 3(क)(iii) के बाहर एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। यह भी प्रकट होता है कि न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति पी. के. बहरी को प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई याचिका पर एकपक्षीय आदेश द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

11. इसलिए, उस मामले के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से स्पष्टतः भिन्न हैं। उपरोक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं है।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एस. राजन *(अपीलार्थी)* बनाम केरल राज्य व अन्य *(प्रत्यर्थी) (1992) 3* एस.सी.सी. *608* में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख

किया। उस मामले में इस न्यायालय का विचार था कि ऐसे मामले में जहाँ करार स्वयं मध्यस्थ को निर्दिष्ट ओर नामित करता है, तो न्यायालय को एक मध्यस्थ को नियुक्त करने की अधिकारिता नहीं है, जो स्वयं करार में निर्दिष्ट नहीं है।

13. पूर्व में बताये गये इस मामले के दिए गए तथ्यों में इस निर्णय का अनुपात भी अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं है।

14. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पुंज लॉयड लिमिटेड *(*अपीलार्थी*)* बनाम पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड *(2006) 2* एस.सी.सी*. 638* में धारा 11(6) याचिका की प्रयोज्यता पर विचार किया और तथ्यों पर विचार किया, जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के समान हैं और अभिनिर्धारित किया कि एक बार 30 दिन की नोटिस अवधि समाप्त हो गई और पक्ष ने धारा 11(6) के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधिपति का रुख कर दिया तो अन्य पक्ष जो मध्यस्थता करार के अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार रखता है, वह ऐसा करने का अधिकार खो देता है। इस दृष्टिकोण को लेते हुए न्यायालय ने दातार स्विचगियर्स लिमिटेड *(*अपीलार्थी*)* बनाम टाटा फाईनेंस लिमिटेड व अन्य *(2000) 8* एस.सी.सी*. 151*

में दिये गये निर्णय का उल्लेख किया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "19. जहाँ तक धारा 11(6) के तहत आने वाले मामलों का सम्बन्ध है - जैसा कि एक हमारे सामने है - अधिनियम के अन्तर्गत कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है, जबकि अधिनियम की धारा 11(4) और 11(5) के अन्तर्गत 30 दिनों की अवधि विहित की गई है। इसलिए, हमारे विचार में जहाँ तक धारा 11(6) का सम्बन्ध है, यदि एक पक्ष विरोधी पक्ष से मध्यस्थ नियुक्त करने की माँग करता है और विरोधी पक्ष माँग किये जाने से 30 दिन के भीतर नियुक्ति नहीं करता है, तो 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात नियुक्ति का अधिकार स्वचालित रूप से जब्त नहीं हो जाता है। यदि विरोधी पक्ष माँग के 30 दिनों के पश्चात् भी नियुक्ति करता है, लेकिन प्रथम पक्ष द्वारा धारा 11 के अन्तर्गत न्यायालय का रुख किये जाने से पूर्व, तो वह पर्याप्त होगा। अन्य शब्दों में, धारा 11(6) के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों में

यदि विरोधी पक्ष ने मांग के 30 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की है, तो नियुक्ति करने का अधिकार जब्त नहीं होता है, बल्कि जारी रहता है, किन्तु पूर्व द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति की माँग करते हुए धारा 11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दायर किये जाने से पहले नियुक्ति कर दी जाती है, केवल तभी विरोधी पक्ष का अधिकार समाप्त होता है। इसलिए हम उपरोक्त निर्णय में किये गये अवलोकन से सहमत नहीं हैं कि यदि माँग के 30 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं की जाती है, तो धारा 11(6) के अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार जब्त हो जाता है।"

15. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रत्यर्थी ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए धारा 11(6) की याचिका दिनांक 30.03.2006 को दायर कर दी थी। इसके पश्चात अपीलार्थी ने कथित तौर पर करार के खंड 24 के संदर्भ में दिनांक 15.05.2006 को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में डॉ. गीता रावत को नियुक्त किये जाने का कहा। एक बार एक पक्ष अधिनियम की धारा 11(6) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दायर कर देता है, तो इसके

पश्चात विरोधी पक्ष का करार के खंड के संदर्भ में मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। करार के खंड के अन्तर्गत मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार विरोधी पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने की माँग करते हुए धारा 11(6) की याचिका न्यायालय के समक्ष दायर किये जाने के पश्चात समाप्त हो जाता है।

16. इसलिए हमारा विचार है कि अपीलार्थी द्वारा डॉ. गीता रावत को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिनांकित 15.05.2006 क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया गया था। एक बार एक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति की माँग करते हुए धारा 11(6) में याचिका दायर कर दी जाती है, तो विरोधी पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित करार के खंड, इस मामले में करार का खंड 24, को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है।

17. हमारे द्वारा लिये गये दृष्टिकोण में इस अपील में योग्यता नहीं है, जो तदनुसार खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश दिए बिना खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक कुमार सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।